प्रेस नोट
दिनांक 19.03.2024, थाना परसपुर
जनपद गोण्डा।

थाना परसपुर क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम रावत के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 62/2024, धारा 363, 366, 376(3) भादवि व 5(ठ)/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 01. विकाश पासवान पुत्र कृपाले पासवान निवासी छतौनी डेहरास थाना परसपुर जनपद गोण्डा को थाना परसपुर पुलिस के द्वारा डेहरास चौराहे से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी द्वारा थाना परसपुर पर सूचना दिया कि मेरी नाबालिक लड़की को विपक्षी द्वारा बहला-फुसला कर भगा ले गये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना परसपुर में मु0अ0सं0- 62/2024, धारा 363 भादवि बनाम विकाश पासवान के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान पीडिंता के वयान के आधार पर अभियोग में धारा 366, 376(3) भादवि व 5(ठ)/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी किया गया। आज दिनांक 19.03.2024 को कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत से वांछित अभियुक्त विकाश पासवान पुत्र कृपाले पासवान निवासी छतौनी डेहरास थाना परसपुर जनपद गोण्डा को थाना परसपुर पुलिस के द्वारा डेहरास चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. विकाश पासवान पुत्र कृपाले पासवान निवासी छतौनी डेहरास थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 62/2024, धारा 363, 366, 376(3) भादवि व 5(ठ)/6 पाक्सो एक्ट थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 जगतपति तिवारी
02. का0 अमित कनौजिया

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 19.03.2024
सेन्ट्रल पीस कमेटी बैठक

आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद के समस्त प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों व संभ्रान्त व्यक्तियों के साथ सेन्ट्रल पीस कमेटी की बैठक की गयी एवं जनपद में कानून व्यवस्था बनाये रखते हुए त्योहारों को सकुशल व शान्ति पूर्ण संपन्न कराने हेतु किया संवाद-

आज दिनांक 19.03.2024 को जिला पंचायत सभागार में आगामी त्योहारों (होलिका दहन, होली, गुडफ्राइडे, जुमा-ए-अलविदा, चैत्र नवरात्रि, ईद-उल-फितर, श्री राम नवमी व प्रचलित रमजान माह) व लोकसभा समान्य चुनाव 2024 के दृष्टिगत जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती नेहा शर्मा व पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद के समस्त प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों व संभ्रान्त व्यक्तियों के साथ सेन्ट्रल पीस कमेटी की बैठक की गयी। जिसमें सर्वप्रथम विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए हुए संभ्रांत व्यक्तियों से त्योहारों के संबंध में संवाद कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी की गई एवं आगामी त्योहारों को सकुशल व शांतिपूर्ण संपन्न कराने में पुलिस/प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा बताया गया कि जुलूस बिना अनुमति के न निकालें, आगामी त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाएं। त्यौहारों को सकुशल शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए सभी अधिकारी व कर्मचारीगण क्षेत्र में भ्रमणशील रहें तथा होलिका दहन के स्थानों का भ्रमण कर यह सुनिश्चित कर लें कि होलिका रखने वाले स्थलों पर कोई विवाद तो नही है, अगर विवाद है तो सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी समस्या का तत्काल निस्तारण करायें तथा धार्मिक स्थलों पर भी पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगायी जाये। सेन्ट्रल पीस कमेटी के सभी सदस्यों से त्योहार को सकुशल सम्पन्न कराने में सहयोग देने की अपील की गयी। इस पर पीस कमेटी के सदस्यों द्वारा आगामी त्योहारों में जिला प्रशासन/पुलिस का पूर्ण सहयोग देने एवं त्योहारों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने का आश्वासन दिया गया। तत्पश्चात् लोक सभा समान्य चुनाव- 2024 को दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता का पालन करने, चुनाव में बढ-चढकर आमजन को भयमुक्त एवं निडर होकर मतदान करने व लोगों को कानून व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करने करने हेतु अपील की गई। जिससे आगामी त्योहारों व लोक सभा चुनाव 2024 को सकुशल शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न करायी जाए।

इस अवसर पर समस्त जिला प्रशासन/पुलिस के अधिकारीगण, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/निरीक्षक प्रज्ञान व सेन्ट्रल पीस कमेटी के सम्मानित नागरिकगण मौजूद रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 19.03.2024, मानिटरिंग सेल
जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से मादक पदार्थ तस्कर को हुई 01 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपए 20,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कन्विक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप मादक पदार्थ तस्कर को 02वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 20,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

दिनाकं 10.10.2020 को थाना परसपुर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ अभियुक्त उस्मान खाँ पुत्र अल्ला बेजू निवासी बनवरिया मौजा सिंगरिया थाना परसपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अनुपम शुक्ला, मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 जागृति व थाना परसपुर के पैरोकार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एन0डी0पी0एस0 एक्ट कोर्ट गोण्डा द्वारा 02 वर्ष का सश्रम कारावास व रू 20,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. उस्मान खाँ पुत्र अल्ला बेजू निवासी ग्राम बनवरिया मौजा सिंगरिया थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-301/22, धारा 8/20(ख)II(ब) एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 19.03.2024, मॉनीटरिंग सेल,
जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से मारपीट करने के 04 आरोपी अभियुक्तों को हुई 04 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 9,500/- रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप मार पीट करने के 04 आरोपी अभियुक्तो को 04-04 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को रु० 9,500/- रूपये अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मार पीट के आरोप में अभियुक्तो 01. रामबहोरे, 02. अम्बुज, 03. पंकज व 04. आदर्श को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अभिनव चतुर्वेदी, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 जागृति व थाना को0देहात के पैरोकार हे0का0 रामजीत पटेल द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष-02 महोदय गोण्डा द्वारा अभियुक्तगणों को 04 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को रु० 9,500/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. रामबहोरे पुत्र स्व0 राममूरत सिंह निवासी ग्राम गोगिया थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।
02. अम्बुज पुत्र स्व0 हरिभजन सिंह निवासी ग्राम गोगिया थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।
03. पंकज पुत्र सूरज सिंह निवासी ग्राम गोगिया थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।
04. आदर्श पुत्र राम बहोरे सिंह निवासी ग्राम गोगिया थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0 -543/2017 धारा 323, 324, 308, 506 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद गोंडा।

मीडिया सेल, गोण्डा।